<u>न्यायालयः पुंजिया बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला</u> <u>अशोकनगर (म.प्र)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 363 / 2012</u> <u>चालान प्रस्तुति दिनांक :- 21 / 11 / 2012</u>

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

:::: (अभियोगी)

:::: विरूद्ध ::::

बहादुरसिंह पुत्र मांगीलाल अहिरवार, उम्र—32 वर्ष, व्यवसाय—खेती, निवासी— ग्राम नयाखेड़ा, तहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

:::: (अभियुक्त)

अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। श्री एम.बी. मिर्जा अधिवक्ता।

<u>ःःः निर्णय ःःः</u>

(आज दिनांक 06/01/2017 को घोषित)

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यह दोषारोप है कि उसने दिनांक 19/10/2012 को शाम करीब 05:45 बजे ग्राम बरोदिया मोड़ लोकमार्ग पर मोटरसायकल क्रमांक यू.पी.94 एच.7606 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.08 एम.एच.7174 में टक्कर मारकर उस पर बैठे विजय एवं विशाल का जीवन संकटापन्न कारित किया एवं विवेक व विशाल को चोंट पहुंचाकर उपहति कारित की।

02. अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि, दिनांक 19/10/2012 को फरियादी विवेक ने सी.एच.एल.चन्देरी पर इस आशय की देहाती नालसी रिपोर्ट लेख करवाई कि वह और विशाल मोटरसायकल कमांक एम.पी.08 एम.एच.7174 से चन्देरी से गुना जा रहे थे। मोटरसायकल विशाल चला रहा था। जैसे ही बरोदिया मोड़ पर पहुंचे कि सामने से मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच.7606 का चालक मोटरसायकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी

मोटरसायकल में टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गये। गिरने से उसे पैरों में एवं विशाल को शरीर में चोंटे आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर '0' पर देहाती नालसी लेखबद्ध की जाकर थाना चन्देरी आकर मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच.7606 चालक के विरूद्ध थाने के अपराध कमांक 340/12 धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त की मोटरसायकल चालक के रूप में पहचान होने से शेष आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

- 03. मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त का बचाव निर्दोषिता का है, किन्तु अभिलेख पर उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।
- 04. प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी विवेक एवं आहत विशाल तथा अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अब प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :—
 - (01) क्या अभियुक्त ने दिनांक 19/10/2012 को शाम करीब 05:45 बजे ग्राम बरोदिया मोड़ लोकमार्ग पर मोटरसायकल क्रमांक यू.पी. 94 एच.7606 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर विवेक व विशाल का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

:::: सकारण विनिश्चिय ::::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण :-

05. विवेक (अ.सा.०1) ने अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है कि उसके कथन दिनांक से चार साल पहले वह उसके दोस्त विशाल के साथ चन्देरी से गुना मोटरसायकल से जा रहे थे। मोटरसायकल विशाल चला रहा था। रास्ते में ग्राम बरोदिया के मोड़ पर सामने से अचानक एक मोटरसायकल आ गई, जिसे वे देख नहीं पाये थे और उनकी मोटरसायकल से टक्करा गई थी, जिससे

वे दोनों गिर गये थे। गिरने से उसे पैर में चोंट आई थी और विशाल को शरीर में चोंट आई थी। टक्कर मारने वाली मोटरसायकल के नंबर व चालक को वह नहीं देख पाया था। उसे बाद में भी टक्कर मारने वाली मोटरसायकल के नंबर व चालक की जानकारी नहीं मिली थी। मोड़ होने से उनकी एवं टक्कर मारने वाली मोटरसायकल धीरे—धीरे चल रही थी। टक्कर लगने के बाद वे चन्देरी अस्पताल आये थे। विशाल को चन्देरी से गुना रैफर किया था। पुलिस ने चन्देरी अस्पताल में आकर देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका प्र.पी.02 बनाया था। बाद में पुलिस ने कथन नहीं लिये थे। फरियादी विवेक (अ.सा.01) के कथनों के समान ही कथन विशाल (अ.सा.02) ने भी किये है।

- 06. उक्त साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षीगण ने उनका एक्सीडेंट मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच.7606 से होने तथा उस मोटरसायकल को आरोपी द्वारा चलाये जाने से इंकार किया है। फरियादी विवेक (अ.सा.01) ने देहाती नालसी प्र.पी.01 लिखवाते समय टक्कर मारने वाली मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एव.7606 होने एवं मोटर सायकल चालक द्वारा उक्त मोटरसायकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाना लिखाये जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने पुलिस को कथन प्र.पी.03 देने से भी इंकार किया है। इसी तरह साक्षी विशाल (अ.सा.02) ने पुलिस को कथन प्र.पी.04 देते समय टक्कर मारने वाली मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच. 7606 होने एवं उक्त मोटरसायकल को आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में लिखाये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन मामले का समर्थन हो।
- 07. अभिलेख पर फरियादी विवेक (अ.सा.01) व साक्षी विशाल (अ.सा. 02) ने उनका एक्सीडेंट मोटरसायकल से होना बताया है, किन्तु उनका एक्सीडेंट मोटरसायकल क्रमांक यू.पी.94 एच.7606 से होने एवं उक्त मोटर सायकल को आरोपी द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में

08. अभिलेख पर उक्त साक्षीगण ने टक्कर मारने वाली मोटरसायकल के नंबर नहीं बताया है और टक्कर मारने वाली मोटरसायकल को आरोपी द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना नहीं बताया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि जिस मोटरसायकल से आहतगण का एक्सीडेंट हुआ था, वह मोटरसायकल आरोपी की ही थी और उसे आरोपी ही उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था, जबिक धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना और उससे मानव जीवन संकटापन्न होना आवश्यक है। उक्त साक्षीगण ने सूचक प्रश्न के दौरान भी उनका एक्सीडेंट आरोपी की मोटरसायकल से होने तथा उस मोटरसायकल को आरोपी द्वारा

उपेक्षा या उतावलेपन से चलाये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उससे यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच.7606 को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया हो और उससे फरियादी व आहत का मानव जीवन संकटापन्न कारित हुआ हो।

- 09. इस प्रकार अभिलेख पर आई उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सुसंगत घटना दिनांक को लोकमार्ग पर उसने मोटरसायकल क्रमांक यू.पी.94 एच.7606 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहतगण का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया हो। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नही पाया जाता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर, इस प्रकरण में स्वतंत्र घोषित किया जाता है।
- 10. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अविध के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकल कमांक यू.पी.94 एच.7606 विचारण के दौरान उसके विधिक स्वामी को सुपुर्दगी पर प्रदान की गई है, अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपीलाविध पश्चात्, अपील ना होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार, निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घौषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(पुंजिया बारिया) (पुंजिया बारिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)